246

## दिनांक 03/06/2019 को प्रस्तावित मान्यता बोर्ड की सातवीं बैठक हेतु कार्यसूची (Agenda)

**प्रस्ताव संख्या 7.1** **मान्यता बोर्ड की छठीं बैठक दिनांक 21 मार्च , 2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि।**

मान्यता बोर्ड की छठीं बैठक दिनाक 21 मार्च , 2017 पर किसी भी सदस्य से आपत्ति/ संशोधन प्राप्त नही हुआ। अत: कार्यवृत्त मान्यता बोर्ड के अनुमोदनार्थ। ( संलग्नक – )

**प्रस्ताव संख्या 7 .2** **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक 23 जून , 2017 को यू0 जी0 सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के रूप में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव संख्या- 12.04 के माध्यम से अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप मानकों/ नियमों के अनुसार अध्ययन केन्द्रों की अद्यतन स्थिति से मान्यता बोर्ड को अवगत कराया जाना-**

**7.2.1- 155 अध्ययन केन्द्र जो उत्तराखण्ड के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नही थे, ऐसे अध्ययन केन्द्रों का संचालन यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के 14 (1) व (2) के प्रावधानो के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 31/12/2018 को बन्द कर दिया गया है। विवरण हेतु सूची संलग्न है। ( संलग्नक – )**

प्रकरण मान्यता बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

**7.2.2- 58 ऐसे राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान जो यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) के प्रावधानों के मानकों को पूरा करते हैं और पूर्व से संचालित है, को**

**अध्ययन केन्द्र स्थापना नियमावली- 2016 के अनुसार संचालित किये जाने पर विचार एवम अनुमोदन। ( संलग्नक – )**

**7.2.3- विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 एंव यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) के प्रावधानों के आलोक में नये स्थापित किये गये अध्ययन केन्द्र।**
**( संलग्नक – 'अ'- 04 राजकीय अध्ययन केन्द्र , 'ब'- 01 मान्यता प्राप्त निजी अध्ययन केन्द्र )**
मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ एवम अनुमोदनार्थ।

**7.2.3.1 अशासकीय एवम राज्य सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान को यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाने पर विचार। ( संलग्नक- )**

**7.2.3.1 वर्तमान में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त 07 आवेदन मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ। ( संलग्नक- )**

**7.2.4- कुमॉऊ विश्वविद्यालय द्वारा 04 कम्यूनिटी कालेज के माध्यम से समझौता पत्र द्वारा अधिकृत किये गये संस्थानों की मान्यता बनाये रखे जाने पर विचार। ( संलग्नक – )**
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में कम्यूनिटी कालेजों से सम्बद्ध संस्थानों को पाठयक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। कुमॉऊ विश्वविद्यालय से पी0पी0पी0 मोड में किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर उक्त संस्थानों ने मुक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता को विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया है। होटल प्रबन्ध पाठयक्रम की मान्यता यू0जी0सी0 द्वारा समाप्त किये जाने के उपरान्त उपरोक्त अध्ययन केन्द्रों की मान्यता तथा

अध्ययन केन्द्रों में पंजीकृत छात्रों के पाठयक्रम पूर्ण किये जाने पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के विचारार्थ।

**प्रस्ताव संख्या 7 .3 राज्य विश्वविद्यालय से विगत वर्षो में सम्बद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित अध्ययन केन्द्रों को मान्यता एवं नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के प्रवधानानुसार संचालित किये जाने पर विचार।**

यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) में उल्लिखित मानकों के अनुरूप संचालित किये जाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 24 वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 के प्रस्ताव संख्या 24.18.02 पर लिये गये निर्णयानुसार 29 अध्ययन केन्द्रों को पाठयक्रम संचालन हेतु दिनांक 30 जून ,2019 तक अधिकृत किया गया है। उपरोक्त अध्ययन केन्द्रों ने अवगत कराया है कि राज्य विश्वविद्यालय से उन्हें सम्बद्धता / मान्यता का समय – समय पर नवीनीकरण किया जाता है। सत्र 2019-20 के लिये मान्यता/ सम्बद्धता संबधी प्रकरण सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में प्रक्रियाधीन है। इस क्रम में अध्ययन केन्द्रों द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के कुल सचिव से इस आशय का पत्र एवम संस्था की ओर से शपथ पत्र प्रेषित किया गया है।
ऐसे अध्ययन केन्द्रों की मान्यता और अकादमिक सत्र 2019- 20 के लिये पाठयक्रम संचालन पर यथोचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
प्रकरण मान्यता बोर्ड के विचारार्थ।

**प्रस्ताव संख्या 7 .4 अध्ययन केन्द्रों के नाम में परिर्वतन/ संशोधन पर विचार।**

कतिपय अध्ययन केन्द्रों ने पूर्व में अपनी संस्था के नाम से अध्ययन केन्द्रों को संचालित किये जाने की अनुमति ली थी। ऐसे अध्ययन केन्द्रों ने अवगत कराया है कि ये अध्ययन केन्द्र अब महाविद्यालय का रूप ले चुके है और महाविद्यालय के नाम से ही राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर चुके है । अध्ययन केन्द्रों ने इस आशय का शपथपत्र, नाम परिवर्तन संबंधी संस्था की कार्यकारणी के कार्यवृत्त संलग्न किये है। ( संलग्नक- )

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के नये नामों के अनुमोदन पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्ताव संख्या 7.5** **विश्वविद्यालय की 24वीं कार्य परिषद दिनांक 25 फरवरी, 2019 में पारित प्रस्ताव संख्या-24.18.2 के बिन्दु 1 से 5 में लिये गये निर्णयों से मान्यता बोर्ड को अवगत कराया जाना। ( संलग्नक – )**

**प्रस्ताव संख्य 7.6** **दिनांक 16/04/2019 को अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में आहूत विश्वविद्यालय निदेशकों की बैठक में लिये गये निर्णय मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। ( संलग्नक – )**

**प्रस्ताव संख्या 7 .7** **क्षेत्रीय सेवायें, निदेशालय के अधीन गठित समन्वय समिति की दिनांक 02 मई 2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। (संलग्नक – )**

**प्रस्ताव संख्या 7 .8** **विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति दिनांक 28 मार्च, 2019 की बैठक मे निदेशालय,क्षेत्रीय सेवायें द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मद संख्या- 12.11 एवं 12.12 की मद संख्या 12.12 के अनुपालन हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के अनुलग्नक-1(B) में संशोधन कर एक नये 'शीर्ष' की स्थापना एवम मान्यता हेतु प्रस्ताव मान्यता बोर्ड के विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ । (संलग्नक – )**

**प्रस्ताव संख्या 7.9** **वर्तमान में संचालित अध्ययन केन्द्रों को यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के प्रावधानानुसार मान्यता प्राप्त विषयों में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित पाठ्यक्रमों को**

**संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित सूची पर उल्लिखित विवरण के अनुसार अनुमोदन पर विचार।। (संलग्नक – )**

**प्रस्ताव संख्या 7.10 मानक पूर्ण करने वाले वर्तमान में संचालित अध्ययन केन्द्रों को व्यापक क्षेत्रों (Broad Area's) प्रावधानानुसार प्रस्तावित विषयों में पाठयक्रम संचालन किये जाने की अनुमति पर विचार।**

यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के प्रस्तर 14 (1) में दिये गये प्रावधान 'मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कार्यक्रम पेशकश करने वाला एक उच्च शिक्षा संस्थान, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में ही शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाए जो ऐसे ही व्यापक क्षेत्रों में कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हों और जिनके पास कार्यक्रम की पेशकश के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन मौजूद हैं। ' के आलोक में अध्ययन केन्द्रों को आंवटित किये जाने वाले विषयों पर विचार किया जाना है।

अधिकांश अध्ययन केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्राप्त विषयों में स्नातक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को राज्य के दुर्गम स्थलों तक सर्व सुलभ बनाने के लिए अध्ययन केन्द्रों द्वारा बार- बार मांग की जा रही है कि उन्हे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा स्नाकोत्तर विषयों में भी पाठयक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये। ( राजकीय महाविद्यालय दोशापानी, बेदीखाल, सरदार महेन्द्र सिंह डिग्री कालेज साहिया आदि के पत्र संलग्नक- )

अवगत कराना है कि, अध्ययन केन्द्र स्थापना मानक/मापदण्ड नियमावली- 2016 के अनुच्छेद 1.5 में व्यवस्था है कि ऐसे अध्ययन केन्द्र जो तीन वर्षो तक स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम का संचालन कर चुके हों और वहॉ पर प्राध्यापक नियुक्त हैं वहॉ पर स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम दिये जा सकते है। अध्ययन केन्द्रों की मांग के आलोक में प्रकरण मान्यता बोर्ड के विचारार्थ।

**प्रस्ताव संख्या 7 .11 अध्ययन केन्द्र स्थापना मानक/मापदण्ड नियमावली – 2016 के प्रावधानों के आलोक में आदर्श अध्ययन केन्द्र की पुनर्संरचना कर प्रशासनिक एवम वित्तीय अधिकार दिये जाने पर विचार।**

कुलपति जी द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर गठित समितिकी आंख्या मान्यता बोर्ड के विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ।

**प्रस्ताव संख्या 7 .12 सी0 एम0 हेल्प लाईन शिकायत विवरणी में दर्ज शिकायत सहित ऐसे समस्त प्रकरणों के निस्तारण पर विचार।**

अध्ययन केन्दों ने अवशेष राशि के भुगतान विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन सत्र 2018-19 के भुगतान की मांग की है। यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 के मानकों को पूर्ण न कर पाने वाले अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के नियम 2.0 द्वारा आदर्श अध्ययन केन्द्र या समीपस्थ अध्ययन केन्द्रों में स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है । इस व्यवस्था द्वारा ऐसे पंजीकृत छात्रों को स्थानान्तरित किये जाने पर सत्रीय कार्य/ पुस्तक वितरण आदि नये अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न किये जा रहे है। प्रकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ।

**प्रस्ताव संख्या 7 .13 अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के अनुलग्नक-1 में प्रमोशनल एक्टिवीटीज 'शीर्ष' के अन्तर्गत धनराशि आंवटित किये जाने पर विचार।**

छात्र सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने के लिये आवश्यक है कि अध्ययन केन्द्रों में छात्र सहायता हेतु प्रवेश पूर्व काउन्सिलिग सत्रों का आयोजन किये जाने के साथ – साथ पाठयक्रमों की जानकारी आदि का प्रचार प्रसार किया जाये। इस तरह की प्रमोशनल गतिविधियों हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के अनुलग्नक-1 में कोई 'शीर्ष' अंकित नही है। अत: अध्ययन केन्द्रों के उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में

'प्रमोशनल एक्टिवीटीज' के अन्तर्गत एक अतिरिक्त शीर्ष में प्रति अध्ययन केन्द्र धनराशि आवंटित किये जाने हेतु गठित समिति की आंख्या परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।
**( संलग्नक- )**

**प्रस्ताव संख्या 7 .14 अध्धयन केन्द्रों को भुगतान प्रक्रिया पर विचार।**

यू0जी0सी0 ( दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा ) विनियम- 2017 लागू होने के उपरान्त 155 अध्ययन केन्द्र बन्द हो चुके है ।ऐसे अध्ययन केन्द्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन सत्र 2018-19 में छात्रों का प्रवेश पंजीकरण किया था । नई व्यवस्था के अन्तर्गत बन्द अध्ययन केन्द्रों में पजीकृत विद्यार्थियों को अन्य अध्ययन केन्द्रों / आदर्श अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तरित किया गया है । ऐसे अध्ययन केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम शुल्क में अपने अशंदान की बार- बार मांग की जा रही है । अत: उपरोक्त के सन्दर्भ में कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आंख्या मान्यता बोर्ड के विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ। **( संलग्नक- )**

**प्रस्ताव संख्या 7 .15 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।**